विनियामक और अन्य उपाय

दिसंबर 2007

आरबीआई / 2007 - 2008 / 203 ग्राआऋवि. केंका. आरएफ. बीसी. 40/07.38.03/2007-08 दिनांक 4 दिसंबर 2007

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक, सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक

वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा - राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों पर पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू करना

कृपया वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा का पैरा 149 देखें । इस समय, राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक जोखिम भारत परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की परिधि से बाहर हैं । संपूर्ण प्रणाली की वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में, राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के पूंजीगत ढ़ांचे का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित है कि वे अपने तुलन पत्रों में 31 मार्च 2008 की स्थिति का अपना सीआरएआर स्तर प्रस्तुत करें ।

2. तदनुसार, सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक 31 मार्च 2008 की स्थिति का अपना सीआरएआर प्रस्तुत करें और उसके बाद हर वर्ष अपने तुलनपत्रों में "लेखे पर नोट" के रूप में अपना सीआरएआर प्रस्तुत करें । सीआरएआर मानदंडों के वांछित स्तर को प्राप्त करने की रूपरेखा यथासमय सूचित की जाएगी ।

3. प्रस्तावित सीआरएआर की रूपरेखा के अंतर्गत, तुलनपत्र की आस्तियों और गैरनिधिक / तुलनपत्र से इतर मदों को भार दिए जाएंगे और बैंकों को कुल जोखिम भारित आस्तियों और तुलनपत्र से इतर अन्य

एक्सपोज़रों की तुलना में अपनी पूंजीगत निधियों के अनुपात की गणना करनी होगी[1]।

4. इसके अलावा, बैंक अनुबंध 2 में दिए गए फार्मेट में हमारे क्षेत्रीय कार्यालय / नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करें जिसमें पूंजीगत निधियों और जोखिमपूर्ण अस्तियों का अनुपात दर्शाया जाए । इस विवरणी पर वे दो अधिकारी हस्ताक्षर करें जिन्हें रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली सांविधिक विवरणियों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । वार्षिक लेखे को अंतिम रूप देने के बाद फार्मेट[2] (अनुबंध 2) के अनुसार एक विवरण जिसमें 31 मार्च 2008 की स्थिति बताई गई हो, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग/नाबार्ड के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें जिसके क्षेत्राधिकार में बैंक स्थित है ।

आरबीआइ सं. 2007-08/210 बैंपविवि. डीआइआर.बीसी. 57/13.03.00/2007-08 दिनांक 14 दिसंबर 2007

सभी अनुसूचित वणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

पूंजी बाजार में बैंकों का निवेश - बैंको द्वारा म्युच्युअल फंडों को प्रदत्त ऋण और अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताओं (आइपीसी) का निर्गमन

बैंक यह जानते ही हैं कि पूंजी बाज़ार में बैंकों के एक्सपोज़र पर वर्तमान अनुदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक्सपोज़र संबंधी मानदंडों पर जारी दिनांक 2 जुलाई 2007 के मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. डीआइआर. बीसी. 11/13.03.00/2007-08 में समेकित किया गया है। उपर्युक्त मास्टर परिपत्र के पैरा 5.6 के अनुसार बैंक म्युच्युअल फंड के यूनिटों पर अलग-अलग व्यक्तियों को ऋण तथा अग्रिम मंजूर कर सकते हैं । तथापि, म्युच्युअल फंडों को ऋण तथा अग्रिम मंजूर करने हेतु कोई सुस्पष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं ।

2. कुछ बैंकों की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्टों और कुछ बैंकों के समेकित विवेकपूर्ण विवरण (सीपीआर) के विश्लेषण से यह बात सामने आई है कि इन बैंकों ने म्युच्युअल फंडों को बड़ी राशियों के ऋण दिए हैं और कई म्युच्युअल फंडों/एफआइआइ की ओर से विभिन्न शेयर बाजारों (बीएसई तथा एनएसई) को अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताएं (आइपीसी) भी जारी की हैं । तथापि, बैंकों ने इन एक्सपोज़रों को अपने-अपने पूंजी बाजार एक्सपोज़रों की गणना हेतु शामिल नहीं किया है।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त मामले की जांच की है तथा सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को निम्नानुसार सूचित कर रहे हैं :

i. बैंकों द्वारा म्युच्युअल फंडों को प्रदत्त ऋण

सेबी (म्युच्युअल फंड) विनियमावली, 1996 के पैरा 44(2) के अनुसार कोई भी म्युच्युअल फंड यूनिटों की पुनर्खरीद, यूनिटों का मोचन अथवा यूनिट धारकों को ब्याज अथवा लाभांश की अदायगी के लिए म्युच्युअल फंडों की अस्थायी नकदी की आवश्यकता की पूर्ति को छोड़कर अन्य किसी प्रयोजन के लिए उधार नहीं लेगा । साथ ही, म्युच्युअल फंड संबंधित योजना की निवल आस्ति के 20 प्रतिशत से अधिक तथा छह महीने से अधिक अवधि के लिए ऋण नहीं लेगा । सेबी के

[1] रूपरेखा और अन्य क्रियाविधिगत दिशानिर्देश ''अनुदेशों का ज्ञापन'' में बताए गए हैं जो http : // www.rbi.org.in/ पर अधिसूचना खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं । कृपया ऐसी गणना के लिए इसे देखें ।

[2] अधिसूचना का अनुबंध 2 http : // www.rbi.org.in/ के अधिसूचना खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं ।

दिशानिर्देशों में यह निहित है कि म्युच्युअल फंडों को अपनी पुनर्खरीदों/मोचन प्रतिबद्धताओं को निजी संसाधनों से पूरा करना चाहिए और केवल अस्थायी नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही उधार लेना चाहिए । उपर्युक्त को देखते हुए बैंकों को सूचित किया जाता है कि म्युच्युअल फंडों को वित्त प्रदान करते समय विवेक से काम लें और योजना की निवल आस्ति के 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर यूनिटों की पुनर्खरीद/ मोचन के प्रयोजन हेतु तथा 6 महीने से अनधिक अवधि के लिए केवल अस्थायी नकदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए म्युच्युअल फंडों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान करें । ऐसा वित्त यदि ईक्विटी उन्मुख फंडों को दिया गया तो वह बैंकों के पूंजी बाजार एक्सपोज़र का भाग होगा ।

(ii) म्युच्युअल फंडों के अनुरोध पर उनके गौण बाजार खरीद के लिए विभिन्न शेयर बाजारों को निर्गमित अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताएं (आइपीसी)

बैंक म्युच्युअल फंडों की ओर से तथा शेयर बाजार के पक्ष में इन ग्राहकों द्वारा किये गये लेनदेनों को सरल बनाने के लिए अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताएं (आइपीसी) जारी करते हैं । हम सूचित करते हैं कि शेयर की खरीद के लिए आइपीसी गैर-निधि आधारित ऋण सुविधा के प्रकार के हैं और इन्हें पूंजी बाजार के परिचालन के प्रयोजन हेतु जारी की गई गारंटियों के समान माना जाना है । अतः बैंकों के ऐसे एक्सपोज़र उनके पूंजी बाजार निवेश का भाग होंगे । बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि एफआइआइ जैसी संस्थाओं को बैंकों से आइपीसी जैसी निधि अथवा गैर-निधि आधारित सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं है । (दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी की अनुसूची 2 देखें।)

4. इस परिपत्र की तारीख से 6 महीने की एक संक्रमण अवधि का प्रावधान किया जा रहा है ताकि बैंक उपर्युक्त आवश्यकताओं का अनुपालन कर सकें ।

आरबीआई/2007-2008/218 ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. बीसी. 44/05.03.095/2007-08 दिनांक 28 दिसंबर 2007

अध्यक्ष, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर पूंजी पर्याप्तता मानदंड को लागू करना

कृपया वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा का पैरा 149 देखें । इस समय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की परिधि से बाहर हैं । संपूर्ण प्रणाली की वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजीगत ढ़ांचे का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित है कि वे अपने तुलनपत्रों में 31 मार्च 2008 की स्थिति का अपना सीआरएआर स्तर दर्शाएं।

2. तदनुसार, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 31 मार्च 2008 की स्थिति का अपना सीआरएआर दर्शाएं और उसके बाद हर वर्ष अपने तुलनपत्रों में "लेखे पर नोट" के रूप में अपना सीआरएआर दर्शाएं । सीआरएआर मानदंडों के वांछित स्तर को प्राप्त करने की रूपरेखा यथासमय सूचित की जाएगी ।

3. प्रस्तावित सीआरएआर की रूपरेखा के अंतर्गत, तुलनपत्र की आस्तियों और गैरनिधिक/तुलनपत्र से इतर मदों को भार दिए जाएंगे और बैंकों को कुल जोखिम भारित आस्तियों और तुलनपत्र से इतर अन्य एक्सपोज़रों की तुलना में अपनी पूंजीगत निधियों के

अनुपात की गणना करनी होगी । रूपरेखा और अन्य क्रियाविधिगत दिशानिर्देश " अनुदेशों का ज्ञापन" में बताए गए हैं जिनका इस गणना के प्रयोजन के लिए ध्यान पूर्वक अध्ययन किया जाए[3]।

4. इसके अलावा, बैंक अनुबंध 2 में दिए गए फार्मेट[4] में हमारे क्षेत्रीय कार्यालय / नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करें जिसमें पूंजीगत निधियों और जोखिमपूर्ण आस्तियों का अनुपात दर्शाया जाए । इस विवरणी पर वे दो अधिकारी हस्ताक्षर करें जिन्हें रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली सांविधिक विवरणियों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । फार्मेट के अनुसार एक विवरण जिसमें 31 मार्च 2008 की स्थिति बताई गई हो, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग/नाबार्ड के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें जिसके क्षेत्राधिकार में बैंक स्थित है ।

[3] रूपरेखा और अन्य क्रियाविधिगत दिशानिर्देश ''अनुदेशों का ज्ञापन'' में बताए गए हैं जो http : // www.rbi.org.in/ पर अधिसूचना खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं । कृपया ऐसी गणना के लिए इसे देखें ।

[4] अधिसूचना का अनुबंध 2 http : // www.rbi.org.in/ के अधिसूचना खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं ।